भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2824

गुरुवार, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा उत्पादन</u>

2824. श्री डी॰एम॰ कथीर आनंदः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछली योजना अवधि के दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियाँ क्या हैं;

(ख) देश में 2019-20 के दौरान सौर ऊर्जा में क्षमता संवर्द्धन के लिए क्या लक्ष्य हैं और उक्त प्रयोजनार्थ कितना बजट आबंटन किया गया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है कि सभी क्षमतावान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र देश में सौर ऊर्जा के विकास में भागीदार बनें?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे बाद में 2015 में संशोधित कर 1,00,000 मेगावाट किया गया। पूर्व योजना अवधि (2012-2017) के दौरान, देश में कुल 11,259 मेगावाट ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत क्षमता संस्थापित की गई, जबकि 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार, कुल 31,696 मेगावाट ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है।

(ख) 2019-20 के लिए 8,000 मेगावाट सौर विद्युत क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए ग्रिड संबद्ध सौर कार्यक्रमों हेतु 2480 करोड़ रु. का बजट नियतन किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा देश में सौर विद्युत के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) दिसम्बर, 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने के लक्ष्य की घोषणा, जिसके लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ii) दिसम्बर, 2022 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर तथा पवन विद्युत के इंटर-स्टेट विक्रय हेतु इंटर-स्टेट पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों और नुकसानों को माफ करना;

(iii) ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;

(iv) वितरण लाइसेंस धारक को किफायती और पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी दरों पर सौर और पवन विद्युत की खरीद करने में समर्थ बनाने के लिए मानक बोली प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों को अधिसूचित करना;

(v) वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा;

(vi) वृहतस्तरीय अक्षय ऊर्जा क्षमता संयोजन के ग्रिड स्थिरता को सुगम बनाने के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना का कार्यान्वयन;

(vii) सौर फोटोवोल्टेक प्रणाली/उपकरण लगाने के लिए गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना।

(viii) प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पीएम-कुसुम), केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सरकारी उत्पादक) 12,000 मेगावाट योजना (चरण-II) और सौर रूफटॉप (चरण-II) कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं की शुरुआत।

*****